

10/15
82/07/94
Identified by
Ajender Singh Nogi
प्ररूप

गेहन / बन्धक / आड़मान / सु



हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास
12-अ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास
और ग्रामीण बैंक या सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास
जिसका वह स्वामी है द्वारा उसके सदस्य को दिए जाने वाले किसी ऋण के सम्बन्ध में सृजित गेहन की बावत की जाने
वाली घोषणा का प्ररूप।

हम सब को ज्ञात है कि मैं/हम : 7

1. R. Devinder Singh पुत्र/पुत्री/विधवा श्री श्री Sh. Radha Singh आयु 43 yrs.
2. _____ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री _____ आयु _____
3. _____ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री _____ आयु _____
4. _____ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री _____ आयु _____
5. _____ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री _____ आयु _____

बैंक सदस्यता संख्या ICNR-S-1654
निवासी ग्राम Skibha डाकघर Ribba तहसील Moorang
जिला Kinnasser हिमाचल प्रदेश स्वयं अथवा द्वारा मुख्तयार

~~आम श्री _____ पुत्र _____ निवासी ग्राम _____
तहसील _____ जिला _____
जो विलेख प्रंजीपन संख्या _____ दिनांक _____ की बही संख्या _____
पृष्ठ संख्या _____ पर दर्ज है और _____ और~~

इस पद के अन्तर्गत जहां पर संदर्भ के अनुसार हो, उसके/उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक और समनुदेशित जिन्हें दि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित (जिसे इसमें इसके पश्चात् बैंक कहा गया है) की सदस्यता में सीमित दायित्व सहित प्रवेश दिया गया है और बैंक से उधार लेने के इच्छुक है, एतद्-द्वारा घोषित करते हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1979 (1979 का 23) की धारा 12 और 12-अ के अधीन तथा अपेक्षित, बैंक द्वारा गए ऋण के देय संदाय सभी आगामी अग्रिम जिन्हें ऋण मंजूरी आदेश में दिए गए निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर लेना स्वीकार करते हैं।

ऋण का उद्देश्य Construction of Rural House
अवधि 10 yrs. ब्याज दर 15%
मैं/हम अधिकतर राशि केवल 100000/- (शब्दों में Ten Lacs only) रुपये के अध्याधीन ऐसी ऋण राशि और अग्रिम पर

ब्याज सहित बैंक के पक्ष में अनुसूचि में वर्णित स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्तियों पर गेहन का सृजन करते हैं।
उक्त उधार लेने वाला/उधार लेने वाले एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि वह वे गेहन सम्पत्ति से सुदृष्ट हक रखता हूँ/रखते हैं हक विलेख के विवरण में दर्ज वर्ष 2007-08, 2011-12 के अनुसार अभिधारी के रूप में मूधृति की स्थिरता के हकदार रहते हुए सम्पत्ति को धारित करता हूँ/करते हैं और आगे हक हित न रहने पर या अन्यथा के कारण हुई किसी हानि या क्षति की पूर्ति करने के लिए आगे प्रसविदा करते हैं अपने आपको ऐसे निमित वचनबद्ध करते हैं।

MANAGER
THE H.P. S. CO OP. AGRIC.
& RURAL DEV. BANK LTD.
SO --- R-1-Deo

दायित्व लिंटे

कथित उधार लेने वाला/उधार लेने वाले घोषित करते हैं कि सृजित प्रभार के अतिरिक्त गेहन सम्पत्ति पर कोई विल्लंघन नहीं है, और

कथित उधार लेने वाला/उधार लेने के उक्त सम्पत्ति या इस सम्पत्ति में किसी हित को विक्रय, बन्धक, दान द्वारा तब तक अन्तरित न करने या कब्जा छोड़ने के लिए अपने आप को बचनबद्ध करते हैं जब तक उधार लेने वाला/उधार लेने वाले बैंक से लिए गए ऋण की ब्याज सहित बैंक की पूर्णतया संदत्त नहीं कर देते।

उधार लेने वाला लिए गए ऋण को वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक, जो भी लागू हो किश्तों में 10 वर्षों में अदा करेगा। यदि किश्तें निर्धारित देय तिथि पर या उससे पूर्व जमा न की गई तो अतिदेय किश्तों की राशी पर 2% प्रतिशत की दर से निर्धारित ब्याज के अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

उक्त उधार लेने वाला/उधार लेने वाले इस बात पर सहमत हैं और घोषित करते हैं कि वह विलेख हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1979 (1979 का 23) की धारा 12, 12अ की शर्तों के अधीन होगा और उसमें वह शर्तें सम्मिलित होंगी।

अब उक्त लिखित गेहन की शर्त इस प्रकार है कि उधार लेने वाला/उधार लेने वाले अपनी देय समस्त राशि का भुगतान कर देते हैं और अधिनियम, नियमों और बैंक की उपविधियों का अनुपालन करते हैं तो उक्त लिखित गेहन प्रभावहीन हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतया लागू रहेगी।

सम्पत्ति का विवरण

अ. स्थान	खाता खतौनी	खसरा नं.
अ. स्थावर	36M	762, 226, 228, 229, 230, 231,
राजस्व ग्राम	69/74	316, 368, 369, 370, 371.
तहसील	13	197, 198, 199, 201, 202, 211, 212, 213,
जिला	17/19	317, 336, 304, 366, 367, 373, 349/20,
	37M	348/200, 372, 373, 374, 41, 42, 53,
	78	55, 223, 225, 227
क्षेत्र :	2/906 1-86-61 MAC 12.	0-41-47 MAC
(1) कृष	H-N-C	0-00-67 MAC
(2) अकृष	0-34-46	0-42-88 MAC
(3) अन्य	0-22-27	0-12-21 MAC
बन्धककर्ता/गेहन सृजनकर्ता का अधिकार	0-56-73 MAC	0-03-88 MAC
	2/906 0-54-95 MAC 12.	
	2/906 0-16-51 MAC 12.	
	Total: -	0-56-87 MAC
आ. जंगम		0-58-87 MAC

MAJISTER
THE H.P. S. CO-OP. AGRI.
बैंक अधिनियम के अन्तर्गत गेहन सृजनकर्ता के हस्ताक्षर
R. P. Singh

बन्धककर्ता/गेहन सृजनकर्ता के हस्ताक्षर
R. P. Singh

अंगुलीय

निशान उत्पन्न करा

प्रमाणित सिद्धांत कि उपरोक्त
अंगुलीय के निशान में लक्षण लक्षण के

अंगुलीय निशान
सूचना कि नीचे

घोषणा

मैं/हम Devinder Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा श्री Lata Kaula Singh
 निवासी Slitta पुत्र श्री Jangchain
 तहसील Meerang जिला Kinnaur
 एतद् द्वारा कथन और घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं/करती हैं कि सम्पत्ति का उपर्युक्त दर्शित विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और समस्त विल्लंघन से मुक्त है।

[Signature]

बन्धककर्ता/गेहन सृजनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम व पता सहित साक्षी :

1. San Ghandari S. Lal Rattan Jaro
Kee Meerang Teh Meerang Distt Kinnaur H.P.
2. Santosh Lal S/o Sadha Sukh, V.P.O Meerang
Teh Meerang Distt Kinnaur, H.P.

[Signature]

[Signature]

अनुप्रमाणन :

उपर्युक्त घोषणा पर श्री/श्रीमति Devinder Singh
 पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा श्री Lata S/o. Radha Singh
 सुपुत्र श्री Jangchain निवासी Slitta
 तहसील Meerang जिला Kinnaur
 व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जिसकी पहचान श्री/श्रीमति _____ ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए जिसे मैं

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/विधवा श्री _____ निवासी _____
 तहसील _____ जिला _____ ने करवाई है और जिसे मैं

व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।
 पहचान करने वाले के हस्ताक्षर *[Signature]*
Mangal Singh S/o Sadha Sukh

तारीख _____
 स्थान _____
 प्राधिकृत अधिकारी के पदनाम और प्राधिकारिक मुद्रा सहित हस्ताक्षर

दो प्रतियों में Mntgag Deed जिला/तहसील के रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार को इस प्रार्थना के साथ अग्रप्रेषित की जाती है कि वह रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 में निर्दिष्ट बही संख्या-1 में घोषणा का कि एक प्रतिलिपि फाईल करें और घोषणा की दूसरी प्रति को हि. प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1979 की धारा 12 की उपधारा (4) के अनुपालन के पश्चात् बैंक को वापिस करेगा।

[Signature]
 MANAGER
 प्राधिकृत अधिकारी के प्रवक्ता, और
 RURAL DEV. BANK LTD.
 प्राधिकारिक मुद्रा सहित हस्ताक्षर

तारीख 16-05-15
 स्थान R. Deo

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारिक की रिपोर्ट

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सीमित Reekang Rao को वापिस की जाती है। उपर्युक्त घोषणा के अधीन सृजित बन्धक गेहन की रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की बही संख्या 1 में पृष्ठ/पृष्ठों _____ पर तारीख _____ सम्यक रूप फाईल कर दिया।

तारीख _____
 स्थान _____

रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के प्राधिकारिक मुद्रा सहित हस्ताक्षर

4
पं. 1/1/11
दोस्त खेद

देवि
जोग-गोरी
गवाह नं- I
सुनी
गवाह नं- II

श्रीगणेशाय नमः

Santosh Lal
उप निरीक्षक
मुरंग, जिला किन्नोर

Prakash
h.p. m...

प्रमाणित किया जाता है कि पेरा नं. 1, गवाह नं. 1 व
द्वितीय नं. 2 के लिये हस्ताक्षर किए

उप निरीक्षक
मुरंग, जिला किन्नोर

2887651

2
0
1
2


Himachal Government Judicial Paper

AFFIDAVIT

I/We Devinder Singh S/o L/Sh. Radha Singh, R/o Village Skibba, P.O. Ribba, Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur, H.P. do hereby declare that I/We have mortgage my/our land description as Khata No. 36m, 13, 37m, Khatauni No. 69 to 74, 17 to 19 Khasra No. 762, 226, 228, 229, 230, 231, 316, 368, 369, 370, 371, 197, 198, 199, 201, 202, 211, 212, 213, 317, 336, 364, 366, 367, 373, 849/200, 169, 848/200, 372, 137, 41, 42, 53, 55, 223, 225, 227 plot 37 measuring 0-56-73 hec. Situated in village Skibba, P.O. Ribba, Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur, H.P. vide Mortgage Deed Date 16/05/2015 executed by me/us on for consideration of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lac only) with interest 15% annum in favour of the Himachal Pradesh State Co-op. Agriculture and Rural Development Bank Ltd; Shimla.

I/We have no objection of the mutation of the aforesaid mortgage is affected in favour of the aforesaid Bank in my/our absence.

Deponent



VERIFICATION:

I, Devinder Singh son of L/Sh. Radha Singh the above named deponent do hereby solemnly affirm that the contents of the above are true to the best of my knowledge and belief and nothing concealed therein is false.


Declared and Verified at Reckong Poo on this 16th day of May 2015.

CERTIFIED/ATTESTED

Signature



Deponent



SELF ATTESTED/CERTIFIED:-


(Self certified/attested as per decision of Govt. of H.P. Department of Admn. Reforms Office Memo No. Per (AR/A(4)3/2003 Part-1, Dated 31.01.2015)

(Now as per the decision of Govt. Attestation of affidavit/declaration is not required by the Magistrate/Notary)

(Giving False or incorrect declaration is punishable Under Sec. 199 & 200 of Indian Penal Code)



बलीया आस 2607
परीक्षा..... विद्यालय नं० I..... पृष्ठ XI
के लिये 16 पर कुल नं० 15 पर पंजीयक
कर प्रविष्टि का नं० I..... पृष्ठ 118
इ सहा. 16 पर 96 पर बसपाच की गई।


उप अधिकायक
धूरंग, जिला किन्नोर